रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266424
CG-DL-E-25092025-266424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947
No. 627] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 711(अ).— केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन केडर) भर्ती नियम, 2014 को, जहां तक उनका संबंध निरीक्षक (आरमोरर), निरीक्षक (मोटर परिवहन), उप निरीक्षक (दर्जी), उप निरीक्षक (ब्रास बैंड), उप निरीक्षक (पाइप बैंड) और निरीक्षक (बैंड) के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हैं या करने का लोप किया गया हैं, गृह मंत्रालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तकनीकी और ट्रेड्समैन केडर में निरीक्षक (आरमोरर), निरीक्षक (मोटर परिवहन), निरीक्षक (ब्रास बैंड), उप निरीक्षक (दर्जी), उप निरीक्षक (ब्रास बैंड) और उप निरीक्षक (पाइप बैंड) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तकनीकी और ट्रेड्समैन काडर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएँ.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "महानिदेशक" से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ख) "शेप-1" केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थायी आदेश संख्या 04/2008, दिनांक 15 दिसंबर, 2008 और तत्पश्चात् इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग से निर्दिष्ट है ।

(2) उक्त शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है, वहीं अर्थ होंगे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66), और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में हैं ।

3. **लागू होना.-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

6. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. **ज्येष्ठता.-** केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार ज्येष्ठता विनियमित की जाएगी ।

8. **प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम.-** पोषक प्रवर्ग के बल के प्रत्येक सदस्य को उसकी ज्येष्ठता के क्रम में, उच्चतर रैंक पर प्रोन्नति के लिए सेवा पात्रता अवधि पूरी करने से पहले, अर्हक प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट/परीक्षा पूरी करने के लिए विस्तृत किया जाएगा और बल के प्रत्येक ऐसे सदस्य को, किसी भी प्रोन्नति से पहले, उक्त अनुसूची के स्तंभ (11) में यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट/ परीक्षा या पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा:

परन्तु यदि महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का समाधान हो जाता है, कि सेवा की अत्यावश्यकताओं या अन्य अपरिहार्य कारणों से, ऐसा कोई सदस्य अपेक्षित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रमों को पूरा करने या अर्हता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो वह उसके लिए जो ऐसे कारण है उन्हे लेखबद्ध करने के पश्चात, ऐसे बल के सदस्य को, उसकी प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए, प्रोन्नत कर सकेगा, जिसके न हो सकने पर वह पूर्ववर्ती रैंक और प्रास्थिति पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा ।

9. **भारत के अनागरिकों की अपात्रता.-** कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, इन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा:

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बल में नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन से विवर्जित नहीं किया जाएगा ।

10. **अधिवर्षिता.-** (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा निवृत्त होगा जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता/करती है, या जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित किया जाए:

परन्तु जिस व्यक्ति की जन्म तारीख किसी मास की पहली तारीख को है, वह 60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी भी व्यक्ति को उप नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु के परे सेवा विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

11. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

12. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छुट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निरीक्षक (आरमोरर)।	24 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142400 रुपये) ।	चयन ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(6)
लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)
लागू नहीं होता ।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा या विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियाँ में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रूपये) में ऐसे उप निरीक्षक (आरमोरर) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है; और (ख) अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होना चाहिए तथा उसका सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। **टिप्पण-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 3. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 4. उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 5. बल का एक सदस्य जो सहायक कमांडेंट के पद से नीचे का न हो और जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो – सदस्य।	लागू नहीं होता।

व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. निरीक्षक (मोटर परिवहन) ।	47 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख ', अराजपत्रित , अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142400 रुपये)।	चयन ।

(6)
लागू नहीं होता ।

(7)
लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रूपये) में ऐसे उप निरीक्षक (मोटर परिवहन या मोटर मैकेनिक) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है; और (ख) अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होना चाहिए तथा उसका सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए ।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे**:- 1. पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. पुलिस उप-महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 3. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 4. उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 5. बल का एक सदस्य जो सहायक कमांडेंट के पद से नीचे का न हो और जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो – सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. निरीक्षक (ब्रास बैंड)।	22 * (2025) [पुरुष-21 और महिला-01] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142400 रुपये)।	चयन ।

(6)
लागू नहीं होता ।

(7)
लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में ऐसे उप निरीक्षक (ब्रास बैंड) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक,	**समूह 'ख' विभागीय** प्रोन्नति **समिति (**प्रोन्नति के संबंध में **विचार करने के लिए) जिसमें** निम्नलिखित होंगे **:-** 1. पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता ।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है; और (ख) अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होना चाहिए तथा उसका सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए । **टिप्पण-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी, - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और	2. पुलिस उप-महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 3. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 4. उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 5. बल का एक सदस्य जो सहायक कमांडेंट के पद से नीचे का न हो और जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो –सदस्य ।	

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) ट्रेड में दो वर्ष का अनुभव; और **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. उप निरीक्षक (दर्जी) ।	43 *(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रूपये) ।	चयन ।

(6)				
		लागू नहीं होता ।		

(7)				
		लागू नहीं होता ।		

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में ऐसे सहायक उप निरीक्षक (दर्जी) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है; और (ख) अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हो तथा उसका सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए । **टिप्पण**.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 3. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 4. सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 5. बल का एक सदस्य जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो – सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 3. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 4. सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 5. बल का एक सदस्य जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो – सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. उप निरीक्षक (ब्रास बैंड)।	22 *(2025) [पुरुष-21 और महिला-01] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)।	चयन।

(6)
लागू नहीं होता।

(7)
लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में सहायक उप निरीक्षक (ब्रास बैंड) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है; और (ख) अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हो तथा उसका सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। **टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 3. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 4. सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 5. बल का एक सदस्य जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो – सदस्य।	लागू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) ट्रेड में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, कें द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 3. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 4. सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 5. बल का एक सदस्य जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. उप निरीक्षक (पाइप बैंड) ।	16 *(2025) [पुरुष-15 और महिला-01] *कार्यभार के आधार पर	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400 रुपये) ।	चयन ।

	परिवर्तन किया जा सकता है ।			

(6)
लागू नहीं होता ।

(7)
लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में ऐसे सहायक उप निरीक्षक (पाइप बैंड) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है; और (ख) अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हो तथा उसका सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। **टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 3. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 4. सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 5. बल का एक सदस्य जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो – सदस्य । **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 3. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य;	लागू नहीं होता ।

प्रतिनियुक्ति,- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) ट्रेड में दो वर्ष के अनुभव । **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	4. सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; 5. बल का एक सदस्य जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो – सदस्य ।	

[फा. सं. आर.नौ.1/2024-संगठन(तकनीकी/ट्रेड्समैन)]

अनिल कुमार प्रधान, उप सचिव (पी-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2025

G.S.R. 711(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force, Group 'B' posts (General Duty, Technical and Tradesmen Cadre) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the posts of Inspector (Armourer), Inspector (Motor Transport), Sub-Inspector (Tailor), Sub-Inspector (Brass Band), Sub-Inspector (Pipe Band) and Inspector (Band), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Armourer), Inspector (Motor Transport), Inspector (Brass Band), Sub-Inspector (Tailor), Sub-Inspector (Brass Band) and Sub-Inspector (Pipe Band) in the Technical and Tradesmen Cadre, in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Reserve Police Force, Technical and Tradesmen Cadre (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Director-General" means the Director General, Central Reserve Police Force;

   (b) "SHAPE-1" refers to the medical category as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008, dated the 15th December, 2008, and subsequent amendments issued in this regard by the Central Government from time to time.

   (2) Words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

3. **Application.-**These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Number of posts, classification and level in pay matrix. -** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. **Disqualification.**- No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Seniority.-** The seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955, and general instructions issued by the Central Government from time to time.

8. **Pre-Promotional courses**.- Every member of the Force in the feeder category shall be detailed to undergo qualifying promotional courses or trade test, before completing the service eligibility period for promotion to higher rank, in order of his seniority and every such member of the Force shall, before any promotion, be required to pass promotional course or trade test or courses as specified in column (11) of the said Schedule :

   Provided that if the Director-General, Central Reserve Police Force is satisfied that due to exigencies of service or other unavoidable reasons, any such member is not able to undergo or qualify the required promotional course or trade test or courses, he after the reasons to be recorded in writing, may promote such member of Force, subject to passing of promotional course or trade test or courses within a period of two years, from the date of his promotion, failing which he shall be reverted to previous rank and status.

9. **Ineligibility of non-citizens of India.-** No person, who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed or employed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

10. Superannuation.- (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time :

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month, shall stand retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement on superannuation as specified in sub-rule (1).

11. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

12. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (Armourer).	24 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.
(6)
Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Sub-Inspector (Armourer) in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years of regular service in the grade and who have successfully completed promotional course or trade test or courses as specified by the	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Inspector-General of Police, Central Reserve Police Force - Chairperson;	Not applicable.

Director-General, Central Reserve Police Force from time to time; and (b) the candidates shall be in medical category SHAPE-I and having good record of service. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Deputy - Inspector General of Police, Central Reserve Police Force- Member; 3. Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 4. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 5. One member of the Force not below the rank of Assistant Commandant having adequate knowledge of relevant trade -Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Inspector (Motor Transport).	47 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

(6)
Not applicable.

(7)
Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Sub-Inspector (Motor Transport or Motor Mechanic) in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the grade and who having successfully completed promotional course or trade test or courses as specified by the Director-General, Central Reserve Police Force from time to time; and (b) the candidates shall be in medical category SHAPE-I and having good record of service. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years,	**Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Inspector-General of Police, Central Reserve Police Force - Chairperson; 2. Deputy-Inspector General of Police, Central Reserve Police Force -Member; 3. Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 4. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member;	Not applicable.

whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	5. One member of the Force not below the rank of Assistant Commandant having adequate knowledge of relevant trade -Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Inspector (Brass Band).	22 * (2025) [Male-21 and Female-01] *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

(6)
Not applicable.

(7)
Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Sub-Inspector (Brass Band) in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years of regular service in the grade and who having successfully completed promotional course or trade test or courses as specified by the Director-General, Central Reserve Police Force from time to time; and (b) the candidates shall be in medical category SHAPE-I and having good record of service. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,-	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Inspector-General of Police, Central Reserve Police Force - Chairperson; 2. Deputy-Inspector General of Police, Central Reserve Police Force -Member; 3. Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 4. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 5. One member of the Force not below the rank of Assistant Commandant having adequate knowledge of relevant trade -Member.	Not applicable.

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) 10th class pass from a recognised Board; and (ii) with two years experience in trades; and **Note1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Sub-Inspector (Tailor).	43 *(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.

(6)
Not applicable.

(7)
Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Assistant Sub-Inspector (Tailor) in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with six years of regular service in the grade and who having	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Deputy-Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairperson;	Not applicable.

successfully completed promotional course or trade test or courses as specified by the Director-General, Central Reserve Police Force from time to time; and (b) the candidates shall be in medical category SHAPE-I and having good record of service. **Note.**- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Commandant, Central Reserve Police Force -Member; 3. Second-in-Command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force- Member; 5. One member of the Force not below the rank of Inspector having adequate knowledge of relevant trade -Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy-Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairperson; 2. Commandant, Central Reserve Police Force -Member; 3. Second-in-Command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 5. One member of the Force not below the rank of Inspector having adequate knowledge of relevant trade -Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Sub-Inspector (Brass Band).	22 *(2025) [Male-21 and Female-01] *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.

(6)
Not applicable.

(7)
Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By promotion, failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Assistant Sub-Inspector (Brass Band) in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with six years of regular service in the grade and who having successfully completed promotional course or trade test or courses as specified by the Director-General, Central Reserve Police Force from time to time; and (b) the candidates shall be in medical category SHAPE-I and having good record of service. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) 10th class pass from a recognised Board; and (ii) with two years experience in trades.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Deputy-Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairperson; 2. Commandant, Central Reserve Police Force -Member; 3. Second-in-Command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 5. One member not below the rank of Inspector having adequate knowledge of relevant trade -Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy-Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairperson; 2. Commandant, Central Reserve Police Force -Member; 3. Second-in-Command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 5. One member of the Force not below the rank of Inspector having adequate knowledge of relevant trade -Member.	Not applicable.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Sub-Inspector (Pipe Band).	16 *(2025) [Male-15 and Female-01] *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.

(6)
Not applicable.

(7)
Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By promotion, failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Assistant Sub-Inspector (Pipe Band) in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with six years of regular service in the grade and who having successfully completed promotional course or trade test or courses as specified by the Director-General, Central Reserve Police Force from time to time; and (b) the candidates shall be in medical category SHAPE-I and having good record of service. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Deputy - Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairperson; 2. Commandant, Central Reserve Police Force -Member; 3. Second-in-Command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force- Member; 5. One member not below the rank of Inspector having adequate knowledge of relevant trade -Member.	Not applicable.

of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation,-** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations; (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) 10th class pass from a recognised Board; and (ii) with two years experience in trades. **Note 1.**- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairperson; 2. Commandant, Central Reserve Police Force -Member; 3. Second-in-Command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 5. One member of the Force not below the rank of Inspector having adequate knowledge of relevant trade -Member.	

[F. No. R.IX-1/2024-Org (Tech./Tradesmen)]

ANIL KUMAR PRADHAN, Dy. Secy. (P-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.25 22:55:13 +05'30'